न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 25 / 2024
निर्णय दिनांक : 22.05.2024
GCMS NO : 2024/70 दायर दिनांक – 22.03.2024

मोहन लाल पुत्र नानक राम जाति जाट निवासी पॉवर हाऊस के पीछे, वार्ड संख्या 38, कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिस्सु एड. प्रार्थी
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के एकल खातेदारी में स्थित भूमि रोही ग्राम कस्बा सुजानगढ़ के खाता संख्या 200 में अंकित खसरा संख्या 2186 / 2177 तादादी 4.6913 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र नानगा अंकित है तथा खाता संख्या 182 में अंकित खसरा संख्या 1966 / 941 तादादी 5.1971 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र नानगा अंकित है जो कि गलत दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम मोहन लाल पुत्र नानक राम है जो कि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र नानगा तथा मोहनराम पुत्र नानगराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम मोहनलाल पुत्र नानकराम दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

है। मोहनराम पुत्र नानकराम एवं मोहनलाल पुत्र नानगराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोहनलाल पुत्र नानकराम किया जाना उचित है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम मोहन लाल पुत्र नानक राम ही दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम कस्बा सुजानगढ़ के खसरा संख्या 2186/2177 तादादी 4.6913 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार मोहनराम पुत्र नानगा व खसरा संख्या 1966/941 तादादी 5.1971 में दर्ज मोहनराम पुत्र नानगराम के स्थान पर मोहनलाल पुत्र नानकराम दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू